

श्री आई0एच0 सिद्दीकी,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
में0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0
द्वितीय तल, एल्लिको कॉरपोरेट चैम्बर-1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परियोजना कार्यालय यूपीसीडा एक्स-लीडा की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

संदर्भ सं० 1107 / यूपीसीडा / 2023-24 / 338 /

दि० 02/03/2024

आवेदक श्री आई0एच0 सिद्दीकी, अधिकृत हस्ताक्षरी, में0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा आवेदन प्रपत्र संख्या-477 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम एल्लिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में पूर्व स्वीकृत भू-विन्यास परमिट संख्या-409 दिनांक 20.10.15 एवं परमिट संख्या-424 दिनांक 02.11.2015 के भूखण्ड पर व्यवसायिक भवन (शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट) अनुज्ञा पत्र संख्या-1977 दिनांक 12.02.2021 क्षेत्रफल 2250.06 वर्गमीटर पर मानचित्र स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण सहा0 प्रबन्धक (परि0) द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है :-

1. योजना के अन्तर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख-रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थाना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। भू-विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों में निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा अनुज्ञा पत्र अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विस्तारित टाउनशिप हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता का प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
5. योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्युनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसटीपी, कूड़ा निस्तारण प्रबन्धन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्ण रूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी, जिसकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा।
6. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त क्रियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से सम्बन्धित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

भवदीय,



(बृजेश कुमार कश्यप)

प्र० परियोजना अधिकारी

संदर्भ सं० /यूपीसीडा/2023-24/338/ दि०

प्रतिलिपि :-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर।

(बृजेश कुमार कश्यप)
प्र० परियोजना अधिकारी